

कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) अथवा उन विशिष्ट कार्पोरेशनों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केंद्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 17 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 36 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) से संबंधित 57 पृथक आपतियां शामिल हैं। आपतियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसईज काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने तक 37 आपतियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपतियों के प्रारूप संबंधित सीपीएसईज के प्रबंधकों को भेजे गए थे, जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट किए गए हैं।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसईज से संबंधित हैं:

मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसईज)	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था
1. परमाणु ऊर्जा (एनपीसीआईएल)	1	1
2. नागर विमानन (एएआई तथा एआईएल)	6	3
3. कोयला (बीसीसीएल, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियां, ईसीएल, एनसीएल, एनएलसी इंडिया लि. तथा डब्ल्यूसीएल)	6	1

4.	वाणिज्य एवं उद्योग (एसटीसी)	1	1
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (एनईडीएफआई)	1	1
6.	उर्वरक (आरसीएफ)	1	1
7.	वित्त (कैनेबैंक फैक्टर्स लि., आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लि, एनआईसीएल तथा यूआईआईसीएल	5	3
8.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम (भेल)	1	1
9.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (हडको)	1	1
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (गेल गैस लि, गेल (इंडिया) लि, एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, ओएनजीसी विदेश लि.)	10	8
11.	विद्युत (डीवीसी, एनएचपीसी तथा आरईसी)	5	5
12.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग (एनएचएआई)	4	2
13.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीईएल)	1	1
14.	जहाज-रानी	3	1

	(डीसीआई तथा एससीआई)		
15.	इस्पात (एमएसटीसी, एनएमडीसी तथा सेल)	9	6
16.	वस्त्र (एनजेएमसीएल)	1	0
17.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूदधार (एनपीसीसी)	1	1
कुल		57	37

4. लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 8375.13 करोड़ हैं।
5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मौटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:
- ❖ नियमों, निदेशों, प्रक्रियाओं, ठेका की निबंधन एवं शर्तों आदि का अननुपालन जिनमें 22 लेखापरीक्षा पैराओं में ₹ 1,613.09 करोड़ की राशि शामिल हैं।
 - ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 15 लेखापरीक्षा पैरा में ₹ 3,016.19 करोड़ की राशि शामिल है।
 - ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिनमें 18 लेखापरीक्षा पैराओं में ₹ 3,700.72 करोड़ की राशि शामिल है।
 - ❖ अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग जिनमें 02 लेखापरीक्षा पैरा में ₹ 45.13 करोड़ शामिल है।
6. इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के कहने पर सीपीएसईज द्वारा हकदारियों के भुगतान में अनियमितताओं तथा वसूलियों तथा सुधारों/परिशोधनों पर अध्याय भी शामिल है। इस अध्याय में चार पैराग्राफ शामिल है अर्थात (क) चार सीपीएसईज द्वारा उनके अधिकारियों को शिफ्ट भत्तों के रूप में दिया गया ₹ 64.38 करोड़ का अनुचित लाभ (ख) दो सीपीएसईज द्वारा इसके कर्मचारियों को ₹ 44.12 करोड़ के निष्पादन संबंधी वेतन का अधिक भुगतान (ग) 13 सीपीएसईज द्वारा लेखापरीक्षा के कहने पर की गई ₹ 66.28 करोड़ की वसूलियां तथा (घ) चार सीपीएसईज द्वारा लेखापरीक्षा के कहने पर किए गए सुधार/परिशोधन।

II इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:

हडको ने फरवरी 2007 में मै. नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऋण नामंजूर कर दिया था क्योंकि उसके आंतरिक दिशानिर्देश एजेंसियों को ऋण की मंजूरी नहीं देते थे यदि उनका पिछला पुनर्भुगतान रिकार्ड अच्छा नहीं हो और परियोजना की दीर्घकालिक सुग्राह्यता के संबंध में आशंकाएँ हों। जुलाई 2007 में हडको ने इसी उधारकर्ता को ऋण मंजूर किया जबकि उनकी पूर्व आशंकाओं का समाधान नहीं हुआ था। संरक्षक आवश्यक इक्विटी लाने में असफल रहा और रिफाईनरी परियोजना वित्तीय समापन तक नहीं पहुँची, जिसके कारण दिसंबर 2011 में परियोजना रूक गई। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू सामरिक निवेशक प्राप्त करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। अनुमानित परियोजना लागत फरवरी 2007 में ₹ 4790 करोड़ से कई गुणा बढ़ कर अगस्त 2015 में ₹ 18830 करोड़ हो गई। वर्तमान में परियोजना की सुग्राह्यता संदिग्ध है और हडको को ₹ 628.47 करोड़ (मूलधन ₹ 349.88 करोड़ और 30 जून 2016 तक ब्याज ₹ 278.59 करोड़) की संभावित हानि हो सकती है।

(पैरा 9.1)

ओएनजीसी कैम्पोस लिमिटेड (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की सहायक कंपनी) द्वारा ड्रिलिंग शुरू करने से 90 दिन पहले प्रचालनात्मक सुरक्षा दस्तावेजों प्रस्तुत करने, जैसा अपेक्षित था, में विफलता के कारण रिग 118 दिनों तक बेकार पड़े रहे तथा इसके परिणामस्वरूप जून से अक्टूबर 2011 के दौरान ₹134.73 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 10.10)

“दि शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एजेंटों से मालभाड़ा तथा अन्य प्रभारों के संग्रहण एवं लेखाकरण की प्रणाली” पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2007 के प्रतिवेदन सं. 9 में शामिल किया गया था जिसमें एजेंटों द्वारा अलग से संग्रहण एवं संवितरण लेखाओं के खोलने, जल यात्रा लेखाओं की समय पर प्रस्तुति तथा बैंक प्रत्याभूति की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने में कंपनी की विफलता को दर्शाया गया था। इस पैराग्राफ पर की गई कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2010/मार्च 2015) कि इन मुद्दों का समाधान नई ईआरपी पैकेज तथा वैश्विक नकद प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन ने माध्यम से किया जाएगा। इन आश्वासनों के संदर्भ में अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी तथा यह पाया गया कि कंपनी ने मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया था।

संविदागत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 57 एजेंटों ने अलग संवितरण लेखे नहीं खोले थे तथा 39 एजेंटों ने वैश्विक नकद प्रबंधन प्रणाली के तहत समर्पित मालभाड़ा लेखे नहीं खोले थे। दो एजेंटों (अर्थात् मै. ओसंयन मास्टर्स, दुबई तथा मै. इस्कोम्ब लेम्बर्ट लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम तथा आयरलैंड), जिन्हे वैश्विक नकद प्रबंधन प्रणाली के तहत कवर किया गया था, ने 2011-14 की अवधि के दौरान उनके द्वारा संग्रहित मालभाड़ा भेजा नहीं था। एससीआई ने इन एजेंटों के साथ करार समाप्त कर दिया था उनसे बकाया राशि क्रमशः ₹ 9.80 करोड़ तथा ₹ 28.60 करोड़ थी (मार्च 2016)। कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली कार्यान्वित करने में विफल रही कि एजेंटों ने 35 दिनों के अंदर जल यात्रा संवितरण अपलोड कर दिए हैं जैसाकि एजेंसी करार में निर्धारित है। यद्यपि ऑटो क्लोशर शुरू कर दिया गया था फिर भी कंपनी ने 837 ऑटो क्लोशर मामलों में ₹ 30.54 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं किया था। इसके अलावा, एजेंटों से प्राप्त हेतु अपेक्षित ₹ 43.50 करोड़ की बैंक प्रत्याभूतियों के प्रति कंपनी के पास केवल ₹ 8.92 करोड़ की राशि उपलब्ध दी (मार्च 2016)। एसएपी इआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन से पांच वर्षों के बीत जाने के बाद भी एसपीआई तदनुसार अपने एजेंसी करारों में संशोधन करने में विफल रहा।

(पैरा 14.3)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा इसके मेघाहटुबुरु तथा किरिबुरु की लौह अयस्क खानों पर प्रतिष्ठापित किए गए तोलसेतु गैर-कार्यात्मक बने रहे क्योंकि ये तोलसेतु या तो रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार नहीं थे और या रेलवे द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई थी। सेल ने अनुमानित आधार पर खानों में वैगनों/रैंकों का लदान जारी रखा तथा कंपनी को लौह अयस्क के अधिक/कम लदान पर शास्ति/निष्फल मालभाड़ा पर व्यय करना पड़ा जो 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 101.97 करोड़ बनता है।

(पैरा 15.4)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1.2 मिलियन टन बिक्रीयोग्य इस्पात के उत्पादन के लिए ₹ 2.524.04 करोड़ की कुल अनुमानित लागत पर बोकारों स्टील संयंत्र (बीएसएल) में नए कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम) कॉम्प्लैक्स के प्रतिष्ठापन का अनुमोदन किया था (जनवरी 2008)। त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रबंधन के कारण सीआरएम परियोजना को पूरा करने में छह वर्षों का विलंब हुआ था जिसे पूर्णतः शुरू नहीं किया गया है (दिसम्बर 2016)। इस विलंब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से 31 अगस्त 2016 तक परियोजना के निर्माण के दौरान ₹ 580 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज लगा।

इसके अलावा, एसिड रिजेनरेशन संयंत्र (एआरपी) को शुरू करने में विलंब के परिणामस्वरूप एआरपी पैकेज हेतु ओ एण्ड एम ठेका (4 फरवरी 2014 से 26 मार्च 2015) के दौरान के अंतर्गत ठेकेदार को किए गए भुगतान पर ₹ 10.59 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ।

(पैरा 15.5)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील संयंत्र (वीएसएल) तथा राउरकेला स्टील संयंत्र (आरएसपी) ने अपनी रॉलिंग मिलों में फ्लैट बिक्रीयोग्य स्टील उत्पादों का उत्पादन किया। इस प्रक्रिया में स्लैब का उत्पादन शामिल है जिसे फ्लैट स्टील के उत्पादन हेतु इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। डाउनस्ट्रीम रोलिंग मिलों के अनवरत प्रचालन हेतु स्लैबों की अधिकतम आवश्यकता स्लैब का 7 से 15 दिनों का स्टॉक है। त्रुटिपूर्ण उत्पादन योजना के कारण स्लैब स्टॉक का संचय हो गया जिससे ₹ 391 करोड़ की परिहार्य स्टॉक ढुलाई लागत आई।

(पैरा 15.8)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कंपनी) ने या तो घरेलू स्रोतों के माध्यम से या आयात द्वारा स्टील निर्माण हेतु सामग्रियों की खरीद की थी। लेखापरीक्षा ने पांच स्टील संयंत्रों के कुल खरीद मूल्य (कोयला को छोड़कर) के 63.19 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले खरीद आदेशों तथा कंपनी के कार्पोरेट सामग्री प्रबंधन दल तीन वर्षों को कवर करते हुए (2012-15) की जांच की थी।

सेल ने खुली/वैश्विक निविदाओं का सीमित उपयोग किया, खरीद के कुल मूल्य का 24.4 प्रतिशत लिमिटेड निविदा आधार पर किया गया था तथा दूसरा 29 प्रतिशत एकल निविदा आधार पर किया गया था। यद्यपि संयंत्रों की ₹ 2 करोड़ तक की वार्षिक खरीदें लगभग ₹ 1851 करोड़ में की गई थी, ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा कोई समान प्रक्रिया नहीं थी। सभी स्टील संयंत्रों में पालन की जांच वाली खरीद प्रक्रियाओं में एकरूपता की कमी थी। एकल निविदा आधार पर महंगी खरीदों के मामले देखे गए थे। कंपनी ने काफी अधिक लागत पर लॉ सिलिका लाइम स्टोन की खरीद की थी तथा 2012-16 के दौरान की गई खरीदों पर ₹ 484.15 करोड़ का अधिक व्यय किया था। आरएसपी ने दूसरे पीएसयू से डोलोमाइट खरीदा था तथा इस एकमात्र स्रोत पर निर्भरता के कारण उसे ₹ 88.04 करोड़ का अधिक व्यय करना पड़ा था। बीएसएल ने लौह अयस्क लम्प तथा सिंतेर के एवजी के रूप में एक पीएसयू से तीन गुणा महंगे

पैलेंटों का उपयोग करके ₹ 235 करोड़ का अधिक परिहार्य व्यय किया। कम्पनी ने फिर से पैलेंटों के परिहार्य उपयोग का सहारा लिया तथा ₹ 25.14 करोड़ का अधिक व्यय किया। बीएसएल ने रास्ते रेल मालभाड़ा के बजाय डोलोमाइट चिप्स के लिए सड़क परिवहन के विकल्प को चुनकर ₹ 8.41 करोड़ का अधिक व्यय किया था। कंपनी ने इसकी लागत को इष्टतम करने के लिए अपनी रिफ्रैक्टरी यूनिटों की उत्पादन सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया तथा दूसरे आपूर्तिकर्ता को उच्चतर लागत पर सामग्रियों का आदेश दे दिया। रिवर्स नीलामी के माध्यम से की गई खरीदों की विश्वसनीयता पर संदेह था। कंपनी के पास इसकी निर्धारित नीति की तुलना में स्टोर तथा स्पेयर की अधिक धारण अवधि थी एमएसईज पर भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन में कंपनी के प्रयासों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता था।

(पैरा 15.9)

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फिलिपिन्स में जीएसडब्ल्यूआईआई के इस्पात संयंत्र को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु मैसर्स ग्लोबल स्टील वर्क्स इंटरनेशनल इंक (जीएसडब्ल्यूआईआई) तथा जीएसएचएल (जीएसडब्ल्यूआईआई की अम्ब्रेला कंपनी) के साथ त्रिपक्षीय करार किया (4 अप्रैल 2005)। एसटीसी के ट्रेडिंग दिशानिर्देशों के अननुपालन, अत्यधिक उच्चतर स्तर पर ऋण सीमा के निर्धारण, संयंत्र की निष्क्रिय स्थिति की उपेक्षा करना, जीएसडब्ल्यूआईआई के संयंत्र में पड़ी सामग्री पर सहायक प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण रखने में विफलता, नकद दो और माल लो आधार पर (जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित था) सामग्री को बेचने में विफलता, पार्टी के साथ परिहार्य समझौता करार आदि के परिणामस्वरूप ₹ 2,101.45 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ जिसमें ₹ 1,129.15 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 220.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यापारिक लाभ शामिल है।

(पैरा 4.1)

नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण (इपीसी) मोड पर विकसित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपभोक्ता फीस के संग्रहण का अधिकार भारत सरकार द्वारा एनएचएआई का सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएचएआई फीस अधिसूचना के अनुमोदन और जारी करने में विलंब (₹ 301.80 करोड़), टोल प्रचालनों को शुरू करने में विलंब (₹ 204.87 करोड़), उपभोक्ता फीस दरों के संशोधन में विलंब (₹ 141.25 करोड़) और फीस अधिसूचना जारी करने में अन्य प्रक्रियात्मक चूकों (₹ 7.72 करोड़) के कारण विभिन्न टोल प्लाजाओं पर टोल की वसूली नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि टोल संग्रहण करने वाली एजेंसियों को नियुक्त करने हेतु अप्रभावी बोली प्रक्रिया के कारण टोल राजस्व की हानि हुई

(₹ 26.35 करोड़)। एनएचएआई ने परियोजनावार तुलन पत्र तथा नकद प्रवाह विवरणी के रख-रखाव के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था। चूँकि पूंजीगत व्यय की पूर्ण वसूली पर टोल उपयोक्ता फीस की दर का कम होना निर्भर है, इसलिये स्टीक परियोजना वार लागतों के अभाव में एमओआरटीएच/एनएचएआई वसूली की ऐसी घटी हुई दर को सटीक रूप से शुरू करने की सही तरीख नियत करने की स्थिति में नहीं थे।

एमओआरटीएच ने अपने उत्तर (17 फरवरी, 2016) में बताया कि उन्होंने एमओआरटीएच/एनएचएआई में मामलों को सही समय पर प्रस्तुत करने तथा समय से शुल्क अधिसूचना को जारी करने एवं टोल संग्रह एजेंसियों को भाड़े पर रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की थी। एमओआरटीएच ने आगे बताया कि सभी ओएमटी परियोजनाओं की वसूली योग्य पूंजीगत लागत की एनएचएआई द्वारा एमओआरटीएच दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु समीक्षा की जा रही थी। टोल प्रचालनों के संबंध में एमओआरटीएच/एनएचएआई द्वारा किए गए उपरोक्त सुधारात्मक उपायों के प्रभाव का भावी लेखापरीक्षाओं में निर्धारण किया जाएगा।

(पैरा 12.4)

भारत सरकार ने छह जूट मिलों के प्रबंधन का पदभार ग्रहण करने के पश्चात जून 1980 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड का पंजीकरण किया और इनका प्रबंधन कम्पनी को सौंप दिया। कम्पनी अपने गठन के बाद से ही घाटे में चल रही थी तथा उसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) के पास (अगस्त 1992) भेजा गया। बी.आई.एफ.आर ने कम्पनी को रूग्ण घोषित (जून 1993) कर अप्रैल 2011 में उसके पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित किया। पुनरुद्धार योजना तीन मिलों अर्थात् खरदाह, किंनीसॉन और आर.बी.एच.एम. का पुनरुद्धार तथा अन्य तीन मिलों अर्थात् एलेक्जेंड्रा, नेशनल और यूनियन मिलों को बंद करना और समयबद्ध ढंग से कम्पनी का कायापलट करने की परिकल्पना की गई थी। पुनरुद्धार योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि पूर्वषेषित थी, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, अब तक योजना में निर्धारित कोई भी लक्ष्य कम्पनी हासिल नहीं कर पायी। अधिशेष भूमि एवं अन्य परिसंपत्ति, चिन्हित होते हुए भी, का निपटान न कर पाने के कारण कम्पनी का प्रतिवर्तन प्रभावित हुआ। मिल के नवीकरण और आधुनीकीकरण में कंपनी ने बहुत कम व्यय किया। मरम्मत कार्य निम्न गुणवत्ता का था। परिणामस्वरूप, तीनों चालू मिलों की उत्पादकता में कमी बनी रही और कम्पनी नुकसान उठाती रही।

(पैरा 16.1)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास में तेजी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी/कंपनी) को 1995 में निगमित किया गया। नेडफी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। कंपनी द्वारा ऋण के संवितरण को, 2012-13 में ₹ 348.73 करोड़ से घटाकर 2015-16 में ₹ 302.99 करोड़ हुई, जबकि इसी अवधि में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ परिसम्पत्तियाँ (एन.पी.ए.) 7.24 प्रतिशत से बढ़कर 17.54 प्रतिशत हुई। एन.पी.ए. की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर विचार करते हुए उन कारणों का विश्लेषण करने हेतु लेखापरीक्षा की गई थी जिनके कारण ऋण खाते एनपीए बन गए।

लेखापरीक्षा ने देखा की बहुत सारे मामलों में उधारकर्ता के ऋण प्रस्ताव के सम्यक उद्यम में कमियां पायी गई। परियोजना के मूल्यांकन के समय पर उद्यम और कंपनी के विशिष्ट मुद्दों पर उचित विचार नहीं किया गया जिससे अव्यवहार परियोजनाओं का वित्तपोषण हुआ, उधारकर्ता द्वारा सतत चूक और ऋण खाते अंततः एन.पी.ए. हो गए। नये ऋण मंजूर और/या संवितरित किये गए जबकि उधारकर्ता ने पूर्व ऋणों को नहीं चुकाया था। समूह से संबंधित कंपनियों को कंपनी तथा अन्य वित्तीयसंस्थानों के साथ उनके समग्र जोखिम, और उस समूह की कंपनियों का वर्तमान ऋण के किशतों की अदायगी के पिछले रिकॉर्ड पर विचार किए बिना ऋण मंजूर किए गए। कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के लिए एन.पी.ए. खातों का हस्तांतरण में विलंब तथा मामला दायर करने में भी विलंब देखे गए थे। इसने बकाया वसूली प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विलम्बित करते हुए कंपनी के हितों को हानि पहुंचाई।

(पैरा 5.1)

दामोदर घाटी निगम (निगम) की स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य झारखंड (तत्कालीन बिहार) तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के अधीन दामोदर नदी घाटी का एकीकृत विकास करना था। निगम के चार बाँध हैं, तिलैया और मैथन बराकर नदी पर, पंचेत दामोदर नदी पर और कोनार कोनार नदी पर तथा दुर्गापुर में एक बराज दामोदर नदी पर अवस्थित है। जल का प्रयोग पन-बिजली उत्पादन, सिंचाई तथा औद्योगिक एवं नगरपालिका-संबंधी प्रयोजनों के लिए जलआपूर्ति हेतु किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम द्वारा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया था। मृदा-संरक्षण हेतु एकीकृत कार्यक्रम के अभाव के साथ गाद के कारण चार रिजर्वायरों के भंडारण क्षमता में 22 प्रतिशत की कमी सहित बाढ़ भंडारण क्षमता में 15 प्रतिशत

की कमी आयी।बाँधों का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया परिणामतः जल-विद्युत् उत्पादन में कमी के कारण राजस्व हानि हुई।बाँधों के मरम्मत तथा रखरखाव कार्य, विशेष रूप से निष्क्रिय अंडर-स्लुईस गेट, में सवांगी चूंके देखी गई जिसका विद्युत् उत्पादन तथा राजस्व हानि के अलावा गाद हटाने के कार्य पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक एवं नगरपालिका-संबंधी प्रयोजनों हेतु जल आबंटन में और वास्तविक जल निकासी की निगरानी में खामियों के कारण संभावित राजस्व हानि हुई ।

(पैरा 11.3)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने ऑयल परिसप्तियों की सुरक्षा हेतु भारतीय नौसेना द्वारा प्रचालन हेतु अपनी स्वयं की निधियों से 23 तत्कालीन सहायक वैसलों (आईएसवीज) की खरीद करने का निर्देश दिया था (अक्टूबर 2009)। इसकी लागत को तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन (ईएण्डपी) में संलग्न उन सभी कंपनियों द्वारा साझा किया जाना था अपतट क्षेत्रों में पहचान थी। यद्यपि ओएनजीसी ने ₹ 349 करोड़ की कुल लागत पर सभी आईएसवीज खरीद लिए थे और जुलाई 2015 में नेवी को उनकी सुपुर्दगी कर दी थी, फिर भी एमओपीएनजी ने अन्य निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ईएण्डपी प्रचालकों द्वारा आईएसवीज के लागत सहभाजन तंत्र को अंतिम रूप नहीं दिया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रचालकों से संबंधित पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी के संबंध में ओएनजीसी की निधियों का ₹ 136.84 करोड़ तक अवरोधन हुआ तथा उस पर ₹ 15.39 करोड़ तक ब्याज हानि हुई।

(पैरा 10.9)

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) के वितरणों को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खुदरा बिक्री कीमत की सूचना देते समय सुपुर्दगी प्रभारों को छोड़ा नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आरजीजीएलपी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा तथा अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के लिए आरजीजीएलवी वितरणों को ₹ 168.04 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(पैरा 10.3)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियां ई-नीलामी के द्वारा गैर-विनियमित क्षेत्रों को जी 6 ग्रेड नोन कोकिंग कोल की बिक्री हेतु आरक्षित कीमत के सही निर्धारण हेतु सम्यक परिश्रम में विफल रही। यद्यपि, जी 6 ग्रेड कोयला जी 7 ग्रेड से उत्तम था, फिर भी जी 6 ग्रेड की आरक्षित कीमत को सीआईएल की अधिसूचना के आधार

पर जी7 ग्रेड से कम निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से सितम्बर 2015 की अवधि के दौरान ₹ 68.16 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई थी।

(पैरा 3.2)

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेका की शर्तों का अध्ययन करते हुए ठेकेदार को ऋण सुविधाएं देकर अनुचित लाभ प्रदान किया जो बकाया राशि के गैर वसूली का कारण बनी। इसके अलावा, ठेका की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद विज्ञापन साइटों को खाली करने के लिए नोटिस जारी नहीं करने पर प्राधिकरण को ₹ 41.68 करोड़ राजस्व हानि उठानी पड़ी।

(पैरा 2.1)

नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियायत ग्राहियों को अनुचित लाभ दिया क्योंकि यह निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्राप्त बैंक प्रत्याभूति को भुनाने के लिए समय पर उपाय करने और करार को समाप्त करने में विफल रही जिसके कारण अगस्त 2016 तक ₹ 209.20 करोड़ की देयताएं एकत्र हो गईं जिसके प्रति बैंक प्रत्याभूति के रूप में उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूति केवल ₹ 48.60 करोड़ थी।

(पैरा 12.1)

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच आधार पर 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की समाप्ति पर कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के गैर-निष्पादन परिसम्पत्ति लेखों की जांच की थी। इस जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- ₹ 35.29 करोड़ तक की फैक्टरिंग सीमा ग्राहकों को संस्वीकृत/वितरित की गई थी जो पात्रता से अधिक थी।
- फैक्टरिंग सीमा को अन्य फैक्टर्स/बैंकों से ग्राहक द्वारा प्राप्त की गई सीमा पर विचार किए बिना संस्वीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71 करोड़ की अधिक सीमाएं संस्वीकृत हुई थी।
- कंपनी ने वहां भी ग्राहकों को फैक्टरिंग सुविधा संस्वीकृत की थी जहां ये बिक्रियां इन ग्राहकों की संबंधित/संबंधित पार्टियों को की गई थी। संबंधित/संबंधित पार्टियों, जो गैर-निष्पादक बन गई थी, से संबंधित फैक्टर्ड बिल ₹ 2.76 करोड़ के थे।

- संस्वीकृत पक्ष के समय संलग्न पूर्व-संवितरण शर्तों के अनुसार, शाखाओं को नए ग्राहकों की उप-सीमाओं के 25 प्रतिशत तक आहरणों की अनुमति देनी थी तथा शेष 75 प्रतिशत का भुगतान प्रचालकों के पहले चक्र के संतोषजनक प्रचालन/भुगतान के बाद किया जाना था। इसके विपरीत दो मामलों में कम्पनी ने प्रचालकों के प्रथम चक्र को पूरा किए बिना ₹ 3.55 करोड़ के अनुमत भुगतान के प्रति ₹ 12.25 करोड़ का भुगतान किया था।
- लेखापरीक्षा ने देखा कि 4 लेखों में मौजूदा संस्वीकृत फैक्टरिंग सीमाएं जारी रही हालांकि कंपनी को ग्राहक की खराब वित्तीय हालात अनियमित प्रचालनों तथा प्रारम्भिक रूग्णता के बारे में ज्ञात था। इन मामलों में ₹ 14.88 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया था।

(पैरा 7.1)

मार्च 2016 तक, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 3240 मे.वा की कुल क्षमता वाले पांच पिटहैड थर्मल पावर स्टेशनों (टीपीएस) के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए चार ओपन कास्ट लिग्नाइट खानों (एम तमिलनाडु के नेवेल्ली में तथा एक राजस्थान के बरसिंगसर में) का प्रचालन किया था। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान तीन विद्युत संयंत्रों अर्थात् टीपीएव-I, टीपीएस-I विस्तारण तथा टीपीएस-II तथा उनकी संबंध लिग्नाइट खानों के प्रचालनात्मक निष्पादन और 2012-13 से 2015-16 तक बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी जिससे निम्नलिखित का पता चला:

- बीटीपीएस 2015-16 तक पूर्णक्षमता उपयोग प्राप्त नहीं कर सका था। परिणामस्वरूप 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान संबंध खानों का क्षमता उपयोग सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से कम था जिसके परिणामस्वरूप लागत की ₹ 79.78 करोड़ कम वसूली हुई
- 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान टीपीएस-I तथा टीपीएस-II विस्तारण में लिग्नाइट की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण संयंत्र पूर्ण लोड पर प्रचालन नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप ₹ 160.64 करोड़ की हानि हुई।
- कंपनी के उपरोक्त संयंत्रों के संबंध में 2012-13 से 2015-16 की विभिन्न अवधि में उत्पादन की लागत के केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से अधिक होने के कारण ₹ 1044.57 करोड़ तक लागत की कम वसूली देखी गई। उत्पादन की उच्च लागत के कारणों में निम्नलिखित हैं:

- बीटीपीएस तथा टीपीएस-I में संयंत्र लोड फैक्टर तथा संयंत्रउपलब्धता फैक्टर की कम प्राप्ति।
- बीटीपीएस के संबंध में अधिक स्टेशन हीट दर (एसएचआर) के कारण लिग्नाइट की अधिक खपत।
- संयंत्र के प्रचालन एवं रख-रखाव पर अतिरिक्त व्यय।
- सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के प्रति अधिक सहायक विद्युत खपत।

(पैरा 3.5)

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु ड्रेजरों के प्रचालन तथा रख-रखाव की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- इन्नोर पोर्ट लिमिटेड के चरण-II कैपिटल ड्रेजिंग कार्य पर बोली-पूर्व सर्वेक्षण करने, ड्रेजरों के कम-निष्पादन, ड्रेजरों के लगाने की खराब योजना तथा किए गए कार्य हेतु कम बिलिंग के कारण ₹ 155.39 करोड़ की हानि हुई।
- कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ 2011-15 की अवधि हेतु किए गए ठेका के संदर्भ में प्राक्कलनों के प्रति ₹ 15.91 करोड़ का अधिक व्यय ड्रेजरों के परिनियोजन में निरंतर बदलावों के कारण हुआ था। इसके अलावा, अपेक्षित क्षमता के ड्रेजरों को लगाने में विफलता तथा ठेका के अनुसार गहराई बनाए न रखने के परिणामस्वरूप ₹ 12.80 करोड़ के निर्णीत हर्जानों तथा शास्ति का उदग्रहण हुआ।
- कांडला पोर्ट ट्रस्ट के साथ फरवरी 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए किए गए ड्रेजिंग ठेका के संदर्भ में संचित कार्य की मात्रा को न हटाने के कारण ₹ 27.80 करोड़ की शास्ति का भुगतान किया गया था।
- जनवरी 2011 में, मझगांव डॉक लिमिटेड से ₹ 269.58 करोड़ की लागत पर खरीदे गए कूटर सेक्शन ड्रेजर की सुपुर्दगी सफल पूर्व परीक्षण के बिना ली गई थी। ड्रेजर का वास्तविक निष्पादन खराब था, जिसका मार्च 2015 तक केवल 22 प्रतिशत क्षमता उपयोग किया जा सका।

- संविधिक प्रमाणपत्रों के वैधीकरण मे विलंब तथा सूखी गोदी स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ड्रेजरो की सेलिंग के कारण ड्रेजरो को खाली रखना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.31 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर नहीं मिला।
- 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान, ड्रेज XI ल्यूब फिल्टर में कमी के परिशोधन मे समय पर कार्रवाई करने में विफलता तथा नियोजित रख-रखाव सूची का पालन न करने के कारण 303 दिनों तक निष्क्रिय रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- फ्लैग स्टेट निरीक्षण (एफएसआई) को बुलाने से पूर्व डीसीआई की त्रुटियों को पहचानने में विफलता के परिणामस्वरूप ड्रेज XI, 23 दिनों तक रुका रहा तथा ₹ 5.85 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी

(पैरा 14.1)